

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश—XIII, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारीअग्रिम जमानत याचिका संख्या—1371 / 2026पहाड़पुर थाना कांड संख्या—94 / 2026

उपस्थित:— अजय शंकर प्रसाद
 अपर सत्र न्यायाधीश—13
 पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सदाम आलम एवं अन्य आवेदकगण।

बनाम

राज्य विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से—श्री चन्द्रलोकी कुमार मिश्रा एवं अर्पणा कुमारी
 (विद्वान अधिवक्ता)।

अभियोजन की ओर से—श्री खुबलाल प्रसाद (विद्वान लोक अभियोजक)।

आदेश

29.04.2026

बार—बार पुकार करने के बावजूद आवेदकगण 1. सदाम आलम, पिता—मनु मियां, 2. मनु मियां, पिता—राजा मियां, 3. भुलाई मियां, पिता—राजा मियां, 4. ताज मोहम्मद मियां उर्फ ताज मोहम्मद आलम, पिता—भुलाई मियां, 5. मिस्टर मियां उर्फ मिस्टर आलम, पिता—भुलाई मियां, 6. असलम मियां उर्फ असलम आलम, पिता—मनु मियां एवं 7. मुस्ताक मियां, पिता—नथु मियां, की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदकगण ने इस अग्रिम जमानत आवेदन को दिनांक 11.03.2026 को दाखिल किया है। दिनांक 07.04.2026 से उक्त आवेदन को कोई प्रचालित नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करने में आवेदकगण की कोई रुचि नहीं है। अतएव इस अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित नहीं किए जाने के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

ह0 /—

(अजय शंकर प्रसाद)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—XIII

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

दिनांक—29.04.2026